जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 224 वीं बैठक दिनांक 19.01.2015 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त, (भूमि एवम सम्पत्ति समिति) जविप्रा, जयपुर
4. श्री एम.एस.रत्नू, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमति आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी)
3. श्री नवल किशोर, उपायुक्त जोन–2
4. श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन–4
5. श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–5
6. श्री ओम प्रकाश जांगिड़, उपायुक्त जोन–6
7. श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–7
8. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
9. सहायक नगर नियोजक, जोन– 5, 6,10 ए ,15,16,19 व मास्टर प्लान

<u>एजेण्डा संख्याः–1</u>
224 / 19.01.2015

विषयः– बीपीसी (एल.पी.) की 223 वीं बैठक दिनांक 22.12.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

एजेन्डा संख्या 7 के सन्दर्भ में राज्य सरकार को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जावे। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्ठि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–2)

224 / 19.01.2015

विषयः– श्रीमति किरण शर्मा पत्नि श्री कमल शर्मा द्वारा जलमहल हाउसिंग को.सो.लि की योजना कान्ता कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 34 व 35 क्षेत्रफल 332 वर्ग गज की लीज डीड जारी करने हेतु।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव एवम जोन के अधिशाषी अभियंता की रिपोर्ट अनुसार ये भूखण्ड लो लाइंग एरिया से प्रभावित नही है तथा राजस्व रिपोर्ट अनुसार योजना का भाग है अतएव भूखण्ड संख्या 34 व 35 को अनुमोदित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–6)

224 / 19.01.2015

विषयः– म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना तारानगर 'ए' झोटवाड़ा मे 100 फीट चौड़ी सैक्टर रोड के Alignment में परिवर्तन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर सैक्टर 15 में प्रस्तावित सैक्टर सड़क के Alignment के अन्तर्गत आने वाले निर्माणो की स्थिति का सर्वेक्षण करवाकर मौका स्थिती के सम्पूर्ण विवरण सहित एजेन्डा नोट समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–7)

224 / 19.01.2015

विषयः– गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महादेव नगर के भूखण्ड संख्या 8 व 9 के मध्य अनुमोदित 40 फीट सड़क को 30 फीट सड़क किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार महादेव नगर योजना के भूखण्ड संख्या 8 व 9 के मध्य की सड़क को 30 फिट किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अनुमोदित योजना में दर्शित 40 फिट सड़क के भूभाग को भूखण्ड सं 8 व 9 को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम समिति (भूमि एवम सम्पत्ति समिति) के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–7)

224 / 19.01.2015

विषयः– भैरव गृ.नि.स.स. की योजना ढाका नगर से लगती हुई भूमि खसरा न. 665/3 के 1/3 भाग मे से गुजरती हुई योजना की 30 फीट सड़क को विलोपित करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर 30 फिट सड़क को रखे जाने के संबंध में उपायुक्त जोन को मौके की स्पष्ट स्थिति के साथ प्रकरण प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा संख्या:—6 (जोन—10 ए)

224/19.01.2015

विषय:— आवेदक मैसर्स मालेश्वर नाथ डवलपर्स तहसील सांगानेर के खसरा नं. 83/1 रकबा 0.32 खसरा नम्बर 82 रक़बा 0.33 है, जयपुर के ग्राम उदयपुर गिलारिया तह. सांगानेर का पुर्नगठन बाबत।

प्रकरण में खसरा नं 82 का पूर्व में 3281.16 वर्गमीटर का पट्टा जारी है एवम खसरा नं. 83/1 के लिए आवागमन मार्ग उपलब्ध नही है एवम इसका कुछ क्षेत्र मौके पर अन्य की निर्मित कम्पाउन्डवाल से ओवर लेपिंग है, अतः ओवर लेपिंग का क्षेत्र छोड़कर इन दोनो भूखण्डो का पुर्नगठन खसरा न. 83/1 के नियमन किया जाकर तत्पश्चात स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक का है। अतएव राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम निष्पादन किया जावे।

एजेण्डा संख्या:—7 (जोन—15)

224/19.01.2015

विषय:— निजी खातेदारी योजना शुभांगन पी.जी.एफ में प्रस्तावित ई.डब्ल्यू. एस/एल.आई.जी को मुक्त करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्ताव अनुसार ई. डब्ल्यू. एस./एल. आई. जी. हेतु आरक्षित भूखण्ड़ो को सामान्य भूखण्डो में अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या— 8

224/19.01.2015 (जोन—4)

विषय:— एयरपोर्ट टर्मिनल—2 से जगतपुरा की ओर जाने वाली 80 फीट सेक्टर रोड के एलाईनमेंट में परिवर्तन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि एयरपोर्ट टर्मिनल—2 से जगतपुरा की ओर जाने वाली 80 फीट सेक्टर रोड के प्रश्नगत भाग के एलाईनमेंट को मास्टर विकास योजना—2025 के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या— 9

224/19.01.2015 (मा. प्लान)

विषय :— रोड़ सेक्टर प्लान—80 के अनुमोदन के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा में दिये गये प्रस्तावों के अनुसार रोड सेक्टर प्लान—80 का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या–1

224 / 19.01.2015 (जोन –5)

विषयः–शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना किशन नगर के भूखण्ड संख्या 147 व 148 को लो लाईंग एरिया से मुक्त कर लीजडीड जारी करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष उपायुक्त जोन 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन एवम अधिशाषी अभियंता जोन 5 की रिपोर्ट के अनुसार ये भूखण्ड अमानीशाह नाले की सीमा से दूर अवस्थित है तथा भूखण्ड संख्या 156 (जिसका पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है) उसके पास की सड़क से 1.2 मीटर अधिक लेवल पर है साथ ही ये भूखण्ड अमानीशाह नाले के साथ में प्रस्तावित रिक्रियेशनल पट्टी से बाहर है। अतएव उपायुक्त जोन की अभिशंषा के अनुसार भूखण्ड संख्या 147 व 148 को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2

224 / 19.01.2015 (जोन–7)

विषयः– श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित आवासीय योजना गणेश नगर में निर्धारित 80 फीट एवं 60 फीट सेक्टर रोड को विलोपित करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3

224 / 19.01.2015 (जोन–16)

विषय :– पृथ्वीराज नगर जोन–16 सेक्टर–ए में स्थित आनंद विहार, गणपति नगर, प्रकाश नगर, गोपी नगर व रिद्धि सिद्धि नगर के मध्य स्थित 100 फीट सेक्टर सडक में मौका स्थिति अनुसार संशोधन बाबत।

जोन द्वारा सीधे ही पत्रावली मय एजेण्डा प्रस्ताव बीपीसी (एलपी) की बैटक में प्रस्तुत की गई। जोन अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया की प्रकरण में 100 फीट चौडी सेक्टर रोड का एलान्यमेन्ट मौके पर स्थित सडक के सेन्टर से दोनों ओर बराबर रख जेडएलसी द्वारा योजनाओं का अनुमोदन किया जाकर योजनाओं का कैम्प आयोजित किया जा चुका है एवं उक्तानुसार कुछ भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अतः सेक्टर रोड का एलान्यमेन्ट प्रश्नगत योजनाओं में मौके पर स्थित रोड के सेन्टर से दोनों ओर बराबर रखा जावें। समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार 100 फीट सेक्टर रोड का एलान्यमेन्ट प्रश्नगत योजनाओं में मौके पर स्थित रोड के सेन्टर से दोनों ओर बराबर रखते हुए रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–4
224 / 19.01.2015 (जोन–19)

विषय :– जोन–19 में स्थित शिव शक्ति नगर–ए में प्रस्तावित 24 मीटर सेक्टर रोड के मार्गाधिकार में संशोधन एवं प्रभावित भूखण्डों के नियमन के संबंध में।

जोन द्वारा सीधे ही पत्रावली मय एजेण्डा प्रस्ताव बीपीसी (एलपी) की बैठक में प्रस्तुत की गई। एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया की प्रश्नगत सडक पर शिव शक्ति नगर–ए के अतिरिक्त योजनाऐं व अन्य भूमि भी प्रभावित होती है अतः इस सड़क का सर्वे कराया जावें एवं सड़क के एलान्यमेन्ट से प्रभावित योजनाओं व अन्य प्रभावित भूमि का परीक्षण कर पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष रखा जावें।

23/01/15

सदस्य सचिव
बीपीसी (ले आउट प्लान)

क्रमांक :–जविप्रा / बीपीसी (एलपी) / 2015 / डी– 13 दिनांक :–23/01/2015

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / पुर्नवास / पी.आर.एन / एल.पी.सी जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर!
10. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

23/01/15

सदस्य सचिव
बीपीसी (ले आउट प्लान)